न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
/24	88,89,90,91,92,53 & 188 RTA	बराना	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
सूरजमल	बनाम	अमरलाल

वकील :– श्री बाबुलाल जैन एड0 | **आदेश पत्रक** | वकीलः–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
08.01.2025	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,53 & 188 आर.टी. एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07/03/25 को पेश हो।	
7.3.25	पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक 2-5-25 को प्रस्तुत हों। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
2-5-25	पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक 7-5-25 को प्रस्तुत हों। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां प्रतिवादी 1 ता 3 सम्मन अप्राप्त	प्रति0 क्र0-1
7-5-25	पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक 13-5-25 को प्रस्तुत हों। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	मीना प्रति क्र0-2 प्रति क्र0-3
13/5/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप0। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की ओर से श्री अखिल श्रीवास्तव एड0 द्वारा वकालतनामा के साथ उपस्थित होकर जवाब पेश किया है। [illegible] कॉपी दी जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 14/5/25 को पेश हो।	
14/5/25	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 16/5/25 को प्रस्तुत हों। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
15/05/25	पत्रावली प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई हेतु वकील वादी द्वारा वकील प्रतिवादी के No objection आदि करके समक्ष पेश करने पर तलब की गई उभयपक्ष अभिभाषकगण ने उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे रूबरू समक्ष राजीनामा पेश किया। वादीगण की पहचान श्री बाबूलाल जैन एड० द्वारा की तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री अखिल श्रीवास्तव द्वारा की गई। उपस्थित सभी पक्षकारगण को पढ़कर सुनाया गया। सभी पक्षकारगण द्वारा स्वीकार होना व्यक्त करते हुये। हस्ताक्षर के इकरार किये गये। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/5/25 को पेश हो। प्रार्थना शीघ्र सुनवाई भी शामिल रहे।
23-5-25	पदासीन अधिकारी के … मे रहने से … को प्रस्तुत हो। 2-6-25 उपखण्ड अधिकारी बारां
02/6/25	पत्रावली पेश हुई। अनुसार अधिकृत आज। मुताबिक राजीनामा वाद को स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील अभिलेख मे प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी बारॉं**

निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 08/25
दायरा दिनांक :– 08.01.2025
निर्णय दिनांक :– 02/6/2025

उनवान

1. सूरजमल उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री प्रहलाद जाति मोग्या निवासी बराना तहसील व जिला बारां (राज0) मो. 7737048204
2. संतराज उम्र 43 वर्ष पुत्र श्री प्रहलाद जाति मोग्या निवासी बराना तहसील व जिला बारां (राज0)
3. उर्मिला उम्र 40 वर्ष पुत्री श्री प्रहलाद पत्नि श्री धनपाल जाति मोग्या निवासी भीमपुरा कोटा जिला कोटा (राज0)
4. रूकमणि उम्र 35 वर्ष पुत्री श्री प्रहलाद पत्नि श्री रामेश्वर जाति मोग्या निवासी ग्राम बोरीना तहसील व जिला बारां (राज0)
5. बादाम उम्र 80 वर्ष बेवा स्व0 श्री प्रहलाद जाति मोग्या निवासी बराना तहसील व जिला बारां

–वादीगण

बनाम

1. अमरलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री प्रहलाद जाति मोग्या निवासी बराना तहसील व जिला बारां राज0
2. मैंना उम्र 35 वर्ष पुत्री श्री अमरलाल पत्नि श्री गोलू जाति मोग्या निवासी ग्राम दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0
3. सबरोज उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री अमरलाल जाति मोग्या निवासी बराना तहसील व जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53, व 188 आर0 टी0 एक्ट
निर्णय दिनांक :– 02/6/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन एड0 – वादीगण
2. श्री अनिल श्री वास्तव एड0– प्रतिवादीगण

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाके माल बराना तहसील व जिला बारां में आराजी खसरा नं0 330 रकबा 0.71 हे0, खसरा नं0 493 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 65 रकबा 0.76 हे0, खसरा नं0 66 रकबा 0.38 हे0, खसरा नं0 73 रकबा 0.45 हे0, व खसरा नं0 74 रकबा 0.55 हे0, कुल 6 किता रकबा 2.86 भूमि स्थित है। जो मूलतः छीतर पुत्र श्री श्रवण जाति मोग्या व प्रहलाद

उपखण्ड अधिकारी
बारां

पुत्र श्री छीतर जाति मोग्या निवासी बराना के नाम दर्ज थी। जिसे प्रस्तुत वाद में आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है, कि छीतर व प्रहलाद के फौत होने पर जो इंतकाल खोला गया है, छीतर पुत्र श्री श्रवण व प्रहलाद पुत्र श्री छीतर इन दोनों के फौत होने के पर इनका फौती इंतकाल एक साथ खोला गया है जिस दिन इंतकाल खोला गया उस दिन दोनों फौत हो चुके है। दोनों पिता पुत्र थें, दोनों का इंतकाल एक साथ खोला गया तथा जो सजरा फौती का इंतकाल में दर्ज किया गया वह गलत है। क्योकि प्रहलाद के फौती इंतकाल में 4 पुत्र अमरलाल, सूरजमल, संतराज व सबरोज बता दिये तथा तीन पुत्रियॉ उर्मिला, रूकमणि व मैना बता दी तथा एक बेवा बादाम बताई। इस प्रकार 8 वारिस बताकर प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि अमरलाल आज भी जीवित है तथा मैना उसकी पुत्री है व सबरोज उसका पुत्र है इनको प्रहलाद का पुत्र व पुत्रियॉ बता दिया गया जो गलत है तथा इस प्रकार इन दोनों को हटाने के बाद में 6 वारिस बनते है तथा प्रत्येंक के हिस्से में 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। अमरलाल अभी जिवित है जो प्रतिवादी क्रम 01 है। उसके पुत्र व पुत्रियॉ का नाम उसके जीवित रहते कैसें आ गया, जिनको इस प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 02 व 03 बनाया गया है इस कारण इन प्रतिवादी क्रम 02 व 03 का नाम राजस्व रिकार्ड में विलोपित करने के लिये ही यह दावा पेश किया जा रहा है। क्योकि अमरलाल के 1/6 हिस्सा मिलेगा तथा अमरलाल के फौत होने के बाद अमरलाल को मात्र 1/6 हिस्से में ही प्रतिवादी क्रम 02 व 03 का नाम आ सकता है। क्योकि प्रतिवादी क्रम 02 व 03 को जो भूमियां उनके नाम दर्ज हो रही है। वह कभी भी किसी भी पक्षकार ने ना तो बेचान की और ना ही हक त्याग किया, फिर भी राजस्व कर्मचारियों ने गफलत व लापरवाही से प्रतिवादी क्रम 02 व 03 का नाम दर्ज कर दिया, जो गलत है। यह इंतकाल दिनांक 03.08.1995 को खोला गया है। जिसको आज लगभग 28 वर्ष हो गये तथा इस प्रकार इंतकाल खोला गया तब मैंना की उम्र 7 वर्ष थी तथा सबरोज की उम्र 2 वर्ष थी। फिर इनके नाम इंतकाल नाबालिग अवस्था में खोला जाना चाहिये थे फिर भी इनको उस दिन बालिग बता दिया व प्रहलाद के पुत्र व पुत्रियॉ बता दिया जबकि ये अमरलाल के पुत्र व पुत्रियॉ है। इसलिये इनका नाम निरस्त होना चाहियें कि खाता शामलात होने की वजह से पक्षकारों को भूमियॉ का उपयोग सही ढंग से नही हो पा रहा है एवं काश्त व्यवस्था में दिक्कत आती है, इस कारण शामलात खाता रखना संम्भव नही है। इसलिये प्रत्येक सहखातेदार का 1/6, 1/6 पृथक–पृथक दर्ज करके नियमानुसार लगान कायम करके कब्जा भी पृथक–पृथक दिलवाया जावें। यह कि अब राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 02 व 03 का नाम दर्ज होने से व अपना नाम नही हटवा रहै है। तथा उनके हिस्से को बेचान करने पर आमादा है, जबकि वादग्रस्त भूमि पर सभी पक्षकारान 1/6, 1/6 हक हिस्से के रूप में काश्त कर रहै है। तथा प्रतिवादी क्रम 02 व 03 कोई हिस्सा काश्त नही कर रहै है। किन्तु अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर जबरन अपना हिस्सा बेचान करने पर आमादा है। जिसका उनको अधिकार हासिल नही है। दिनांक 15.09.2024 को उन्होनें अपना हिस्सा बेचान करने व कब्जा करने की धमकी दी, बमुश्किल वादीगण के सामझाने से वह मानें, किन्तु फिर भी ऐलानियां धमकी देते है। कि वह उनका हिस्सा बेचान करके रहेगें व कब्जा करके रहेगें अतऐव वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है। कि वह वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर जबरन कब्जा न करें एवं भूमियॉ को रहन बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकित न करें तथा वादीगण को उनका 1/6, 1/6 शांतिपूर्ण ढंग से काश्त करने देवें

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

वादीगण ने प्रतिवादीगण क्रम 04 के विधिक प्रतिनिधियों को कई बार आग्रह किया कि वह राजस्व कागजात में जो प्रतिवादी क्रम 02 व 03 का नाम गलत दर्ज हो गया है, उसको विलोपित करवायें किन्तु उन्होनें कोई ध्यान नही दिया दिनांक 18.09.2024 वादीगण ने विधिक प्रतिनिधी जिला कलक्टर बारां को नोटिस कानूनी धारा 80 सी.पी.सी का दिलवाया जिसकी मियाद दिनांक 18.11.2024 को समाप्त हो गई है किन्तु उन्होनें कोई सहायता नही पंहुचायी है। इस कारण सर्वोच्च भू धारक होने से तहसीलदार बारां को वाद में प्रतिवादी क्रम 04 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को दिनांक 15.09.2024 को भूमियॉ पर जबरन कब्जा करने व उन्हें रहन, बय करने की धमकी देने, नीज दिनांक 18.11.2024 को मियाद नोटिस समाप्त होने पर बमुकाम बराना तहसील व जिला बारां में उत्पन्न हुआ। वाद का मूल्यांकन विवादित आराजी के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। विवादित आराजी वाके माल ग्राम बराना तहसील बारां में स्थित है। इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद पत्र की मद नं001 में वर्णित विवादग्रस्त भूमि वाके माल ग्राम बराना तहसील व जिला बारां में आराजी खसरा नं0 330 रकबा 0.71 हे0, खसरा नं0 493 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 65 रकबा 0.76 हे0, खसरा नं0 66 रकबा 0.38 हे0, खसरा नं0 73 रकबा 0.45 हे0, व खसरा नं0 74 रकबा 0.55 हे, कुल 6 किता रकबा 2.86 हे0, जिसमें प्रतिवादी क्रम 02 व 03 का नाम दर्ज है वह विलोपित करवाया जावें तथा वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 के नाम 1/6, 1/6 हिस्सा प्रत्येक पक्षकार के नाम दर्ज करवाया जावें तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावें। वादपत्र की मद नं0 01 में वर्णित विवादग्रस्त भूमि वाके माल ग्राम बराना तहसील व जिला बारां में आराजी खसरा नं0 330 रकबा 0.71 हे0, खसरा नं0 493 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 65 रकबा 0.76 हे0, खसरा नं0 66 रकबा 0.38 हे0, खसरा नं0 73 रकबा 0.45 हे0, व खसरा नं0 74 रकबा 0.55 हे0, कुल 6 किता रकबा 2.86 हे0, में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 का 1/6, 1/6 हिस्सा पृथक-पृथक दर्ज करवाया जावें एवं इसका लगान भी अलग-अलग कायम करवाया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वह वादपत्र की मद नं0 01 में वर्णित विवादग्रस्त भूमि वाके माल ग्राम बराना तहसील व जिला बारां में आराजी खसरा नं0 330 रकबा 0.71 हे0, खसरा नं0 493 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 65 रकबा 0.76 हे0, खसरा नं0 66 रकबा 0.38 हे0, खसरा नं0 73 रकबा 0.45 हे0, खसरा नं0 74 रकबा 0.55 हे0, कुल 6 किता रकबा 2.86 हे0 में से किसी भी हिस्से को जबरन रहन, बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करें तथा वादीगण को उनका हिस्सा 1/6, 1/6 प्रत्येक को शांतिपूर्वक ढंग से काश्त करनें देवें। कि खर्चा मुकदमा व अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अनिल श्री वास्तव एड0 का वकालत नामा पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बराना सम्वत 2047-2050, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बराना सम्वत 2051-2054, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बराना सम्वत 2067-2070, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बराना सम्वत 2055-2058, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बराना सम्वत 2071-74, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बराना सम्वत 2059-2062, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बराना सम्वत 2063-2066, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बराना सम्वत 2053-58, नकल नोटिस

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

दिनांक 18.09.2024, नकल इन्तकाल नं0 190 ग्राम बराना, नकल इन्तकाल नं0 930 दिनांक 23.09.2024 ग्राम बराना, नकल प्रमाण पत्र उप संरपच ग्राम पंचायत बराना दिनांक 06.02.2024, पेश किया गया। अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया।

प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वाके ग्राम बराना की राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 3 सबरोज का नाम सहवन से गलत अंकित हो गया है। जबकि उक्त दोनों प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 अमरलाल पुत्र प्रहलाद हिस्सा 1/6 अंकित होना चाहिये था। जिसका अंकित होना अति आवश्यक है, हम वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त राजीनामा से आपत्ति नही है, अतः राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश किया गया। राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् को पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया। उभय पक्षकारान् राजीनामा पढ व सुनकर स्वीकार किया गया, तथा राजीनामा एवं पत्रावली पर सहमति के आधार पर हस्ताक्षर किये गये, जिनकी पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गई। अभिभाषक उभय पक्षकारान् की सहमति एवं सन्तुष्टि के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है, विवादित वाके ग्राम बराना सम्वत 2071–74, खाता संख्या नया 6, पुराना खाता संख्या 6, में आराजी खसरा नं0 330 रकबा 0.71 हे0, खसरा नं0 493 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 953/65, रकबा 0.41, खसरा नं0 66 रकबा 0.38 हे0, खसरा नं0 73 रकबा 0.45 हे0, खसरा नं0 74 रकबा 0.55 हे0, कुल 6 किता रकबा 2.51 हे0, में से प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के नाम के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 01 के नाम दर्ज किया जावें तथा वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य 1/6, 1/6 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बनवारी लाल बैरवा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 08/25	88,89,90,91,92,53, व 188 आर0टी0एक्ट	निर्णय दिनांक – 02/6/2025
समक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः– श्री बाबूलाल जैन एड0	अभिभाषक प्रतिवादी– श्री अमित वास्तव एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. सूरजमल उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री प्रहलाद जाति मोग्या निवासी बराना तहसील व जिला बारां (राज0) मो. 7737048204
2. संतराज उम्र 43 वर्ष पुत्र श्री प्रहलाद जाति मोग्या निवासी बराना तहसील व जिला बारां (राज0)
3. उर्मिला उम्र 40 वर्ष पुत्री श्री प्रहलाद पत्नि श्री धनपाल जाति मोग्या निवासी भीमपुरा कोटा जिला कोटा (राज0)
4. रूकमणि उम्र 35 वर्ष पुत्री श्री प्रहलाद पत्नि श्री रामेश्वर जाति मोग्या निवासी ग्राम बोरीना तहसील व जिला बारां (राज0)
5. बादाम उम्र 80 वर्ष बेवा स्व0 श्री प्रहलाद जाति मोग्या निवासी बराना तहसील व जिला बारां

–वादीगण

बनाम

1. अमरलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री प्रहलाद जाति मोग्या निवासी बराना तहसील व जिला बारां राज0
2. मैंना उम्र 35 वर्ष पुत्री श्री अमरलाल पत्नि श्री गोलू जाति मोग्या निवासी ग्राम दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0
3. सबरोज उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री अमरलाल जाति मोग्या निवासी बराना तहसील व जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0

–प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है, विवादित वाके ग्राम बराना सम्वत 2071–74, खाता संख्या नया 6, पुराना खाता संख्या 6, में आराजी खसरा नं0 330 रकबा 0.71 हे0, खसरा नं0 493 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 953/65, रकबा 0.41, खसरा नं0 66 रकबा 0.38 हे0, खसरा नं0 73 रकबा 0.45 हे0, खसरा नं0 74 रकबा 0.55 हे0, कुल 6 किता रकबा 2.51 हे0, में से प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के नाम के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 01 के नाम दर्ज किया जावें तथा वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य 1/6, 1/6 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 02/6/2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितंसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		